औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
Department of Industrial Policy & Promotion

भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry

तथा / &

सिडबी
के सहयोग से
संचालित

नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) के लिए निधियों की निधि

Fund of Funds for Startups (FFS)

नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) के लिए निधियों की निधि

Fund of Funds for Startups [FFS]

1. उद्देश्य
Objective

नवोन्मेष से संचालित उद्यमों के विकास एवं संवृद्धि के लिए निधीयन सहयोग उपलब्ध कराना। भारत में नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) के सामने आने वाली एक प्रमुख चुनौती है वित्त तक पहुँच। संपार्श्विक प्रतिभूति या मौजूदा नक़दी-प्रवाह के अभाव में नवारंभ उद्यम (स्टार्ट-अप) प्राय: ऋण पाने में असमर्थ रहते हैं। इसके अलावा, अत्यधिक जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्र होने के कारण, जिसमें अधिकतर नवारंभ उद्यम (स्टार्ट-अप) अपना कार्य-व्यवसाय आगे ले जाने में असफल रहते हैं, उनमें निवेश किए जाने का आकर्षण भी बाधित होता है। अत: इस निधि का उद्देश्य नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) को निधीयन उपलब्ध कराना है। यह निधि निधियों की निधि के रूप में होगी, जिसका अरेथ है कि यह निधि नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) में सीधे निवेश नहीं करेगी, किंतु सेबी में पंजीकृत उद्यम निधियों में भागीदारी करेगी।

To provide funding support for development and growth of innovation driven enterprises. One of key challenges faced by Startups in India has been access to finance. Often Startups, due to lack of collaterals or existing cash flows, are unable to get the loans/equity support. Besides, the high risk nature of Startups wherein a significant percentage fail to take-off, hampers their investment attractiveness. The objective of the Fund, therefore, is to provide funding support to Startups. The Fund will be in the nature of Fund of Funds, which means that it will not invest directly into Startups, but shall participate in the capital of SEBI registered Venture Funds.

2. प्रमुख विशेषताएँ
Principal features

निधि का नाम Name of Fund	नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) के लिए निधियों की निधि Fund of Funds for Startups (FFS)
निधि प्रबंधक Fund Manager	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)सिडबी(Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
निधि का आकार Fund size	`10,000 करोड़ (भारत सरकार द्वारा स्थापित 14 वें एवं 15 वें वित्त आयोग की अवधि में उपलब्ध कराई जानी है) `10,000 crore (to be built over the 14th and 15th Finance Commission constituted by Government of India).
निधि की अवधि Fund life/Tenure	प्रारंभ में निधियों की निधि के अंतर्गत समर्थित वैकल्पिक निवेश निधि की अवधि 12 वर्ष तक होगी। The tenure of the AIF supported under FFS will be initially upto 12 years
निवेश का लक्ष्य-समूह Investment Focus	नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) के लिए निधियों की निधि से किया जाने वाला निवेश किसी क्षेत्र-विशेष के लिए नहीं होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे व्यापक रूप से मिश्रित उद्योग-क्षेत्रों, जैसे - विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि को सहायता प्राप्त हो। Investments from the FFS shall be sector agnostic and ensure support to a broad mix of sectors such as manufacturing, agriculture, health, education etc.

3. प्रयोजन
Purpose

(i) नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) के लिए निधियों की निधि सीधे नवारंभ उद्यमों (स्टार्ट-अप) में निवेश नहीं करेगी, बल्कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों की पूँजी में भागीदारी करेगी।

FFS would not invest directly in Startups, but would participate in the capital of Alternative Investment Funds (AIF) registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI).

(ii) नवारंभ उद्यमों **(**स्टार्ट**-**अप**)** के लिए निधियों की निधि वैकल्पिक निवेश निधियों की समूह**-**निधि में अंशदान करेगी**,** ताकि वे प्रारंभिक चरण वाले**,** बीज चरण वाले और संवृद्धि चरण वाले विभिन्न नवारंभ उद्यमों **(**स्टार्ट**-**अप**)** की ईक्विटी एवं ईक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश कर सकें।

FFS shall contribute to the corpus of Alternative Investment Funds (AIFs) for investing in equity and equity linked instruments of various Startups at early stage, seed stage and growth stages.

(iii) नवारंभ उद्यमों **(**स्टार्ट**-**अप**)** उन मानकों एवं मानदंडों को पूरा करेंगे**,** जो भारत के राजपत्र स. **501 (E**) में प्रकाशित **23** मई**, 2017** की भारत सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट हैं।

Startups shall qualify the norms and criteria as mentioned in the Gazette Notification G.S.R.501 (E) dated May 23, 2017, issued by Government of India and as amended from time to time.

4. उद्यम पूँजी निधियों के लिए पात्रता मानदंड
Eligibility criteria of Venture Capital Funds (VCFs)

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत श्रेणी I एवं II की वैकल्पिक निवेश निधियाँ।

  Category I & II Alternative Investment Funds (AIFs) registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI).

- नवारंभ उद्यमों **(**स्टार्ट**-**अप**)** के लिए निधियों की निधि से समर्थन-प्राप्त वैकल्पिक निवेश निधियाँ**,** भारत के राजपत्र में प्रकाशित **23** मई**, 2017** की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार**,** नवारंभ उद्यमों **(**स्टार्ट**-**अप**)** के लिए निधियों की निधि से प्राप्त अंशदान की राशि की कम से कम दोगुनी राशि निवेश करेंगी।

  The AIFs supported by FFS shall invest at least twice the amount of contribution received from FFS in Startups qualifying as per the Gazette Notification G.S.R.501 (E) dated May 23, 2017, issued by Government of India and as amended from time to time.

- इसके अलावा, वैकल्पिक निवेश निधियाँ इस राशि में से किसी ऐसे उद्योग का उस स्थिति में निधीयन नहीं करेंगी**,** जब वह भारत के राजपत्र में प्रकाशित **23** मई**, 2017** की भारत सरकार की अधिसूचना में दी गई परिभाषा के अनुरूप नवारंभ उद्यम **(**स्टार्ट**-**अप**)** नहीं रह जाएगा।

  Further, out of this amount, AIFs shall not fund an entity as and when it ceases to be a Startup as defined in the Gazette Notification G.S.R.501 (E) dated May 23, 2017and as amended from time to time.

- तथापि, यदि किसी नवारंभ उद्यम **(**स्टार्ट**-**अप**)** को मंज़ूर की गई राशि उसके नवारंभ उद्यम **(**स्टार्ट**-**अप**)** न रह जाने से पहले पूर्ण रूप से निर्गत नहीं हो पाई है**,** तो उपर्युक्त राशि में से शेष राशि का निधीयन जारी रखा जा सकता है।

  However, if the amount committed for a Startup in whole has not been released before a Startup ceases to be so, the balance funding can continue thereafter out of the aforesaid amount.

- निधि प्रबंधक / दल को निधि प्रबंध संबंधी कार्य का या निवेश का पूर्व अनुभव होना चाहिए।

  Fund Manager / team should have prior track record in Fund management or prior investment experience.

5. प्रक्रिया
Process

निधि का प्रबंध सिडबी का मौजूदा आंतरिक निवेश दल करेगा।

The Fund would be managed by SIDBI's existing in-house investment team.

उद्यम पूँजी निधियों के चयन की प्रक्रिया दो चरणीय होगी, जिसका निम्नवत् पालन किया जाएगा :

Two stage processes for selection of Venture Funds is followed as under:

5.1 **चरण I**: सिडबी की उद्यम पूँजी निवेश समिति द्वारा प्रारंभिक जाँच

Stage I : Preliminary Screening by Venture Capital Investment Committee (VCIC).

- निधि की प्रथमदृष्टया पात्रता के बारे में आरंभिक चर्चा के आधार पर प्रस्ताव उद्यम पूँजी निवेश समिति की प्रारंभिक जाँच के लिए ले जाया जाएगा, जिसमें सदस्य के रूप में सिडबी के अधिकारियों के अलावा, बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

Based on the initial discussions with regard to prima-facie eligibility of the Fund, the proposal would be taken for preliminary screening to the VCIC, having external experts as members, besides officials from SIDBI.

- संभावी निधि प्रबंधक को उद्यम पूँजी निवेश समिति के समक्ष अपनी विस्तृत प्रस्तुति करनी होगी।

  The prospective Fund Managers have to make a detailed presentation before VCIC.

- प्रारंभिक जाँच के आधार पर और निधि प्रबंधक से विचार-विमर्श के बाद उद्यम पूँजी निवेश समिति प्रस्ताव की विस्तृत कर्तव्यपरायणता के लिए अनुशंसा करेगी।

  Based on preliminary screening and after deliberations with the Fund Managers, VCIC would recommend the proposal for undertaking detailed due diligence.

5.2 **चरण II** : सिडबी के निदेशक मंडल की कार्यकारिणी समिति द्वारा विस्तृत कर्तव्यपरायणता एवं मंज़ूरी

Stage II : Detailed due diligence and sanction by Executive Committee of the Board of SIDBI.

- उद्यम पूँजी निवेश समिति की अनुशंसा के बाद, सिडबी प्रस्ताव की विस्तृत कर्तव्यपरायणता करेगा और प्रस्ताव निदेशक मंडल की कार्यकारिणी समिति के समक्ष मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

  After recommendation of the VCIC and after carrying out required due diligence, detailed appraisal of the proposal will be undertaken by SIDBI and the proposal will be put up to the Executive Committee of the Board of SIDBI for sanction.

- मंज़ूरी होने पर, आशयपत्र जारी किया जाएगा और अंशदान करार पर हस्ताक्षर किए जाएँगे।

  Upon sanction, Letter of Intent will be issued and Contribution Agreement would be signed.

- निधि द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के आधार पर, निधि प्रबंधक सिडबी को निधि आहरण का अनुरोध भेजेगा।

  Based on the commitments made by the Fund, the Fund Manager would send a draw down request to SIDBI.

- सामान्यत किसी उद्यम पूँजी निधि की प्रतिबद्धता अवधि प्रथम समापन से 4 से 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए।

  Generally, commitment period of an Alternative Investment Fund (AIF) should be for a period of 4 to 5 years from the date of its First Closing.

- उद्यम पूँजी निधि की प्रतिबद्धता अवधि के बारे में निर्णय करने का विवेकाधिकार उद्यम पूँजी निवेश समिति के पास होगा।

  VCIC shall have the discretion to decide on the commitment period of AIFs on case to case / need basis.

6. निवेश का आकार
Size of investment

- निवेश की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।
  There is no minimum investment limit prescribed.

- निवेश की मात्रा उद्यम पूँजी निधि के आकार के 25% से अधिक नहीं होगी। जहाँ आवश्यक समझा जाएगा, न्यूनतम निवेश सीमा निर्दिष्ट करने /निवेश सीमा को आशोधित /पुनरीक्षित /परिवर्तित करने का विवेकाधिकार उद्यम पूँजी निवेश समिति के पास होगा।
  The investment in any investee company shall not be more than 25% of the size of AIF or as may be prescribed by SIDBI from time to time. VCIC shall have the discretion to specify minimum investment limit / modify / revise / alter the investment limit, wherever considered necessary.

7. अन्य
Others

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / राज्य सरकारों द्वारा परिचालित निधियों की निधि से उद्यम पूँजी निधि की समूह-निधि में किया जाने वाला सकल अंशदान उसकी समूह-निधि के 35% से अधिक नहीं होगा। सकल अंशदान 35% से अधिक हो जाने पर सिडबी का अंशदान उस सीमा तक घटा दिया जाएगा। उद्यम पूँजी निधियों को अंतिम समापन के समय एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
The aggregate contribution to the corpus of AIF from Fund of Funds being operated by different Ministries of the Government of India / State Governments shall not exceed 35% of its corpus. In case such aggregate contribution exceeds 35%, SIDBI's contribution shall be reduced to that extent. AIFs will be required to furnish a certificate at the time of their Final Closing.

संपर्क:
वी सी एफ परिचालन,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
एमएसएमई विकास केंद्र, भूखंड सं. सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई – 400051, महाराष्ट्र
दूरभाष सं.: 022-67531100 / फ़ैक्स सं. 022-67531236
ई-मेल आईडी : vcfoperations@sidbi.in

Contact:
VCF Operations
Small Industries Development Bank of India
MSME Development Centre,
Plot No. C-11, 'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051, Maharashtra
Phone No: 022-67531100 / Fax No. 022-67531236
Email id: vcfoperations@sidbi.in